कार्यालयः मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

वाद संख्या 466/2018-19 प्राधिकरण बनाम् श्री एस0एस0 अग्रवाल, गुरुकृपा धाम कॉलोनी के निकट मौजा आजमाबाद मथुरा ।

उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 11.12.2018 के क्रम में आवेदक श्री एस0एस0 अग्रवाल, गुरुकृपा धाम कॉलोनी के निकट मौजा आजमाबाद मथुरा द्वारा समस्त धनराशि कुल रुपये 63,93,311.00(रुपये तिरेसठ लाख तिरानवे हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) को प्राधिकरण कोष मे जमा कर दिये गये है । वाद निम्न शर्तो के अनुसार प्रशमन किया जाता है ।

1. मानचित्र स्वीकृति भू-स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी । भू-स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त होना मान्य होगा एवं मानचित्र स्वीकृति आवेदक द्वारा प्रस्तुत गुरूकृपा धाम कालोनी के निवासियों के अनापत्ति पत्र के आधीन होगी ।
2. प्रस्तावित विन्यास क्षेत्र का अनुक्षण पक्ष द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक सम्बन्धित नगर पालिका/सक्षम संस्था को हस्तान्तरण नहीं कर दिया जाता एवं उक्त हस्तान्तरण की जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता की होगी ।
3. शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
4. आवेदक को शासनादेश के अनुसार नियमानुसार वृक्षा रोपण करना होगा ।
5. समस्त आन्तरिक विकास कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का उत्तरदायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व पूर्ण करने सम्बन्धी सहमति हेतु विकास प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा ।
6. भविष्य में बढे हुए विकास शुल्क अथवा अन्य शुल्क की माँग की जाती है, तो वह आवेदक/विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा ।
7. भविष्य में प्राप्त होने वाले शासनादेशो/बोर्ड बैठको के निर्णयों के अनुपालन करना होगा ।
8. पृथक-पृथक भूखण्डों पर निर्माण हेतु अलग से मानचित्र स्वीकृत प्राप्त करनी होगी।
9. प्रत्येक भूखण्ड धारक को अपने भूखण्ड के अन्दर सैप्टिक टैक का निर्माण करना होगा ।
10. स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में श्रम विभाग के नियमों/शासनादेशों का पालन करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
11. प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण होने उपरान्त प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

वाद उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत प्रशमन कर वाद सं0 466/18-19 को समाप्त किया जाता है ।

(सचिव)

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा।

Scanned by CamScanner

कार्यालयः मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

वाद संख्या– **466 / 2018–19**

दिनांकः 13-12-18

श्री राहुल सिंघल पुत्र श्री शिव शंकर अग्रवाल
नि0 68 मयूर विहार धोलीप्याऊ मथुरा

विषयः वाद सं0 466 / 2018–19 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्री राहुल सिंघल के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2018 के क्रम में बिना स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किये गये निर्माण को निम्न शर्तों के साथ शमनित करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11.12.2018 को प्रदान कर दी गयी है ।

1. विकास शुल्क, निरीक्षण शुल्क, शेल्टर शुल्क, आदि की कुल धनराशि **रूपये 63,93,311.00 (रूपये तिरेसठ लाख तिरानवै हजार तीन सौ ग्यारह मात्र)** निम्न विवरण के अनुसार प्राधिकरण कोष में जमा करने होगे ।

विकास शुल्क–	51,65319.00
निरीक्षण शुल्क–	1,67,792.00
शेल्टर शुल्क–	10,60,200.00
कुल धनराशि –	**63,93,311.00**

2. आवेदक को उपरोक्त धनराशि **रूपये 63,93,311.00 (रूपये तिरेसठ लाख तिरानवै हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी** ।
3. आन्तरिक विकास कार्य के व्ययानुमान के 10प्रतिशत का एक प्रतिशत लेबर शेष के रूप में उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में अग्रिम के रूप में जमा करना होगा एवं अवशेष शुल्क धनराशि नियामानुसार जमा कराना आवेदक का उत्तदायित्व होगा ।
3. मानचित्र स्वीकृति भू–स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी । भू–स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त होना मान्य होगा एवं मानचित्र स्वीकृति आवेदक द्वारा प्रस्तुत गुरूकृपा धाम कालोनी के निवासियों के अनापत्ति पत्र के आधीन होगी ।
4. प्रस्तावित विन्यास क्षेत्र का अनुक्षण पक्ष द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक सम्बन्धित नगर पालिका / सक्षम संस्था को हस्तान्तरण नहीं कर दिया जाता एवं उक्त हस्तान्तरण की जिम्मेदारी आवेदक / विकासकर्ता की होगी ।
5. शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा ।
6. आवेदक को शासनादेश के अनुसार नियमानुसार वृक्षा रोपण करना होगा ।
7. आवेदक को आन्तरिक विकास कार्य हेतु व्ययानुमान प्रस्तुत करना होगा एवं आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण किये जाने की गारन्टी के रूप में विक्रय योग्य भूमि के क्षेत्र की 20 प्रतिशत भूमि वन्धक रखनी होगी ।
8. समस्त आन्तरिक विकास कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का उत्तरदायित्व आवेदक / विकासकर्ता का होगा इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व पूर्ण करने सम्बन्धी सहमति हेतु विकास प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा ।
9. भविष्य में बढे हुए विकास शुल्क अथवा अन्य शुल्क की मॉग की जाती है, तो वह आवेदक / विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा ।
10. भविष्य में प्राप्त होने वाले शासनादेशो / वोर्ड बैठको के निर्णयों के अनुपालन करना होगा ।
11. पृथक–पृथक भूखण्डों पर निर्माण हेतु अलग से मानचित्र स्वीकृत प्राप्त करनी होगी ।
12. प्रत्येक भूखण्ड धारक को अपने भूखण्ड के अन्दर सैप्टिक टैंक का निर्माण करना होगा ।
13. स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में श्रम विभाग के नियमों / शासनादेशों का पालन करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा ।
14. प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण होने उपरान्त प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा

अतः आप दिनांक **25–12–2018** तक उक्त आरोपित धनराशि व औपचारिकतायें पूर्ण कराना सुनिश्चित करे ।

13/12/18
(बसंत अग्रवाल)
सचिव

Scanned by CamScanner